संख्याः 17 / xxiv–B-5 / 2021–03(01)2020

प्रेषक,

**जे0एल0 शर्मा,**
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
विद्यालयी शिक्षा,उत्तराखण्ड
देहरादून।

**माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5** **देहरादूनः दिनांकः 16 जनवरी, 2022**

**विषयः–कोविड–19 के New Variant "Omicron" के संक्रमण के दृष्टिगत राज्य के अन्तर्गत संचालित कक्षा–12 तक की सभी शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय(सहायता प्राप्त) / निजी शिक्षण संस्थान) के भौतिक रूप से संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 07 / xxiv–B-5 / 2021–03(01)2020, दिनांक 10 जनवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 894 / यू0एस0डी0एम0ए0 / 792(2020) दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में कोविड–19 के New Variant "Omicron" के संक्रमण के दृष्टिगत राज्य के अन्तर्गत संचालित कक्षा–12 तक की सभी शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय(सहायता प्राप्त) / निजी शिक्षण संस्थान) को दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक भौतिक रूप से संचालन हेतु बंद किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बढ़ते कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत राज्य के अन्तर्गत संचालित कक्षा–12 तक के सभी शिक्षण संस्थानों(शासकीय / अशासकीय(सहायता प्राप्त) / निजी शिक्षण संस्थान) का भौतिक रूप से संचालन अग्रेत्तर आदेशों तक बन्द रहेगा तथा शिक्षण कार्य का संचालन पूर्व की भॉति Online माध्यम से जारी रहेगा।

इस सम्बन्ध में कोविड–19 के दृष्टिगत पूर्व में विद्यालयों के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 463 / XXIV-B-5 / 2020–3(1)2020 दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 द्वारा निर्गत Standard Operating Procedures(SOP) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

**(जे0एल0 शर्मा)**
संयुक्तसचिव।

**संख्या– (1) / XXIV–B–5 / 2021–03(1)2020 तद्‌दिनांक।**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन ।
8. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ननूरखेड़ा देहरादून।
10. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर बोर्ड, नैनीताल।
11. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, लोक सूचना एवं सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. सचिव, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।
14. सचिव, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली।
15. उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून।
16. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई0 कौलागढ़ रोड, देहरादून।
17. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।